2026:AHC:212401

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 43308 of 2026

Pappu @ Intazar

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P. and Another

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Rahul Singh Tomar
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 73

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 274/2025, अंतर्गत धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ०प्र०, थाना लिसाड़ीगेट, जिला मेरठ में प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 24.12.2025 से उद्भूत दाण्डिक वाद सं० 7194/2026 (State VS. Kayyum and others), जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 8, मेरठ के न्यायालय में लंबित है, में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 18.03.2026 तथा इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और वर्तमान अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से उत्पीड़न करने के उद्देश्य से संस्थित किया गया है। यहां प्रासंगिक है कि यह मामला आवेदक को प्रताड़ित करने के कुत्सित उद्देश्य से झूठे तौर पर फंसाया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से धाराओं के आवश्यक तत्व यह हैं कि आवेदक का अपराध करने का स्पष्ट आशय (इरादा) होना चाहिए, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से समर्थित नहीं है और विरोधी पक्षकार संख्या 2 ने केवल पुलिस मुखबिर की सूचना के आधार पर इस मामले में अवैध रूप से आवेदक का नाम घसीटा है, जबकि विवेचक (अनुसंधान अधिकारी) ने पुलिस मुखबिर की सूचना के समर्थन में कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया है। विवेचक ने बिना कोई विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए अत्यंत लापरवाहीपूर्ण तरीके से आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है। इसलिए, आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का अपराध बन नहीं रहा है। पुनः उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेजों और बयानों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा उस पर संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है।

5. इस चरण पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में तथ्यात्मक विवाद का न्यायिक निर्णय (adjudication) और साक्ष्य का मूल्यांकन (appraisal) शामिल है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192** और अंत में **झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हक** एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

7. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है।

8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

9. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 7, 2026
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad